

पश्चिम रेलवे

संख्या : E/EP/360/चुनाव


मं.रे.प्र. कार्यालय, रतलाम
दिनांक 16.04.2024

प्रति,
सर्व संबंधित - रतलाम मण्डल

- विषय- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत मध्यप्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान में मतदान हेतु दिनांक 13.05.2024 को राजकीय अवकाश घोषित करने बाबत।
- संदर्भ:- 01. मुख्य चुनाव पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र क्रं. 20/चार/2024/3277 दिनांक 16.03.2024
02. जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन) जिला रतलाम का पत्र क्रं. 1252/भा.नि./फा.क-49/2024 दिनांक 06.04.2024
03. राजस्थान सरकार वित्त मार्गोपाय विभाग पत्र क्रं.प.16(1)वि.मा./2023 दिनांक 19.03.2024
04. अति.सेक्रेटरी गुजरात सरकार का पत्र क्रं. GS/06/2024/JSR/2024/334/GH दिनांक 05.04.2024
05. रेलवे बोर्ड का परिपत्र RBE 21/2009 दिनांक 02.02.2009

- 1) उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत मध्यप्रदेश में मतदान हेतु दिनांक 13.05.2024 को होना है जिसके लिए रतलाम मण्डल की संबंधित लोकसभा क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यालय बन्द रहेंगे। अतः दिनांक 13.05.2024 का अवकाश घोषित किया जाता है।
- 2) रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 02.02.2009 के अनुसार शेडों /स्टेशनों और डिपो जिन्हें बन्द नहीं किया जा सकता में कार्यरत सभी कर्मचारियों हेतु व्यवस्था करके यथासंभव संख्या में मतदान के लिए बारी-बारी से छोडा जावे, ताकि कर्मचारी अपना मतदान कर सकें।
- 3) प्रशासनिक कार्यालय के नियंत्रक अधिकारी सामान्य छुट्टी से चुनावी ड्यूटी पर तैनात किए गये कर्मचारी को प्राप्त ब्यौरे के अनुसार मतदान के दिन और अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए लगने वाले यात्रा दिवसों के लिए अनुमति दें।
- 4) ऐसी स्थिति में जबकि रेलवे कर्मचारी जिस क्षेत्र में रहता है, वहाँ के मतदान की तारीख उस क्षेत्र के मतदान की तारीख से भिन्न है, जिस क्षेत्र में उसका कार्यालय है, तो उन कर्मचारियों को भी विशेष आकरिमक अवकाश स्वीकृत किया जावे, ताकि वे अपना मतदान कर सकें।
- 5) जो कर्मचारी राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में रतलाम मण्डल के अधीन कार्यरत हैं, तथा उन्हें मध्यप्रदेश में मतदान करना है, उन्हें विशेष आकरिमक अवकाश प्रदान किया जावे।
- 6) चुनाव वाली तिथि को आकरिमक अवकाश घोषित किया जाता है, यदि किसी को इन क्षेत्रों के अलावा अन्य तिथि को मतदान करना है, तो वह उस दिन का अवकाश ले सकता है।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।


(श्रीमति सुनीता जे.अष्टकर)
सहा. कार्मिक अधिकारी (III)
कृते:मंडल रेल प्रबंधक (स्था.)रतलाम

प्रतिलिपि:-

महा प्रबं.(स्था.)चर्चगेट को सूचनार्थ /वरि.मं.का.अ./सहा.का.अधि.(I,II,III)

CHOS-ED, ET,EM,EE,CONF, DAR, UNION CELL, PASS/PF CELL, BILLS, SETTLEMENT,CWLI,CLA, CIHER,
JANITOR, आरक्षण सेल ,मण्डल मंत्री वे.रे.म.संघ/वे.रे.ए.यू./सचिव-एससीएसटी /ओवीसी एसों रतलाम